संयुक्त राज्य अमेरिका का श्रम विभाग

बाल श्रम के सबसे बुरे रूपों के बारे में 2018 के निष्कर्ष

भारत

2018 में भारत ने बाल श्रम के सबसे बुरे रूपों का उन्मूलन करने के प्रयासों में उल्लेखनीय प्रगति की। सरकार ने व्यक्तियों की तस्करी (रोकथाम, संरक्षण, और पुनर्वास) बिल का प्रारूप तैयार किया जो जबरन-श्रम, बंधुआ-श्रम, और भीख-मांगने के उद्देश्यों के लिए तस्करी सहित, तस्करी के बदतर रूपों को आपराधिक कार्रवाई बनाता है और उसके लिए सज़ाओं में भी वृद्धि करता है। उसने बाल और किशोर श्रम (निषेध एवं नियमन) क़ानून को लागू करने के लिए एक नया कार्य बल भी स्थापित किया तथा आंकड़े एकत्र करने का एक नया फॉर्म वितरित किया जो राज्य सरकारों के लिए ज़िला स्तर पर होने वाले मानव तस्करी के मामलों के विशिष्ट ब्योरे की वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो को देना अनिवार्य बनाता है। रिपोर्टिंग की अवधि के दौरान, पुलिस और बाल सुरक्षा अधिकारियों ने कई राज्यों में बच्चों को जोखिमपूर्ण बालश्रम तथा व्यावसायिक यौन-शोषण से बचा कर निकालने के लिए छापे मारे। इसके अतिरिक्त, दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश की सरकार ने बंधुआ-श्रम से मुक्त कराए गए बच्चों और वयस्कों के लिए वित्तीय सहायता तत्काल जारी किए जाने हेतु मानक कार्रवाई प्रक्रियाएं जारी कीं तथा मानव तस्करी से जूझने के लिए नीति का प्रारूप तैयार किया। लेकिन फिर भी, भारत में बच्चे बालश्रम के सबसे बुरे रूपों में अब भी उलझे हुए हैं जिनमें कपड़े तैयार करने में जबरन-श्रम और पत्थरों के उत्खनन का काम शामिल है। बच्चे सूत और धागा उत्पादन में भी ख़तरनाक काम करते हैं। जोखिमपूर्ण-कार्य निषेधों में वे सभी व्यवसाय शामिल नहीं हैं जिनमें बच्चे असुरक्षित और अस्वास्थ्यकर वातावरण में लंबी अवधियों तक काम करते हैं, और बच्चों को काम पर रखने के लिए सज़ाएं शायद इतनी पर्याप्त नहीं हैं कि लोगों को उल्लंघनों से बाज़ रख सकें।

रिपोर्टिंग के आधार पर, सुझाई गई कार्रवाइयां चिह्नित की गई हैं जो भारत में बाल श्रम के उन्मूलन को बढ़ावा देंगी।

क्षेत्र	सुझाई गई कार्यवाही	सुझाव का/ के वर्ष
क़ानूनी ढांचा	यह सुनिश्चित किया जाए कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए जिन क़िस्मों के जोखिमपूर्ण कामों पर निषेध है वह व्यापक हों, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां बच्चे असुरक्षित और अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में लंबी अवधियों तक काम करते हैं जैसेकि कताई मिलें, वस्त्र उत्पादन, क़ालीन निर्माण और घरेलू काम।	2016 – 2018
	यह सुनिश्चित किया जाए कि क़ानून अ-राज्यीय सशस्त्र दलों द्वारा 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की भर्ती पर आपराधिक निषेध लागू करे।	2016 – 2018
	वह क़ानुनी दस्तावेज़ प्रकाशित करें जो भारत के सशस्त्रसेवा बालों में स्वैच्छिक भर्ती के लिये न्यूनतम आयु स्थापित करता है।	2018
	काम के लिये न्यूनतम आयु उस आयु तक बढ़ाएं जब तक शिक्षा अनिवार्य है।	2018

क्षेत्र	सुझाई गई कार्यवाही	सुझाव का/ के वर्ष
प्रवर्तन	श्रम क़ानून प्रवर्तन के बारे में राष्ट्रीय स्तर पर आंकड़े एकत्र और प्रकाशित किए जाएं जिनमें, श्रम-निरीक्षणालय के लिये निधियन, श्रम-निरीक्षकों की संख्या, कार्य-स्थल पर किए गए निरीक्षणों की संख्या, और बाल-श्रम क़ानून उल्लंघनों के लिए लगाए गए दंडों और जमा किए गए जुर्माने की संख्या शामिल हो।	2014 – 2018
	वर्जित बाल-श्रम में बच्चों को काम पर रखने के लिए अर्थपूर्ण दंड निर्मित किए जाएं जो भय दिखाकर कारगर ढंग से उल्लंघनों को रोकना सुनिश्चित कर सकें।	2014 – 2018
	बाल श्रम के सबसे बुरे रूपों से संबद्ध सभी अपराधों के लिए सज़ाएं, आपराधिक तहक़ीक़ातों की संख्या, और क्या नए आपराधिक जाँच-कर्ताओं को प्रशिक्षण प्राप्त होता है इस बारे में सभी राज्य सरकारों से आंकड़े राष्ट्रीय स्तर पर एकत्र एवं प्रकाशित किए जाएं।	2009 – 2018
	ऐसी मानक प्रचालन प्रक्रियाओं को पूरी तरह लागू करें जो बच्चों सहित बंधुआ श्रम से मुक्त कराए गए पीड़ितों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती हैं।	2018
	सरकार संचालित और सरकार द्वारा निधिकृत आश्रय-गृहो में संदिग्ध दुरुपयोगों और दुर्व्यवहारों की तहक़ीक़ात करें।	2018
	सुनिश्चित करें कि जो सार्वजनिक अधिकारी बाल श्रम के सबसे बुरे रूपों में भाग लेते हैं या उन्हें सुविधाजनक बनाते हैं उन्हें उत्तरदायी ठहराया जाए।	2018
सरकारी नीतियां	उन राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम किया जाए जहां फिलहाल बाल-श्रम उन्मूलन के लिए राज्य-कार्यवाही योजनाएं नहीं हैं, ताकि ऐसी योजनाएं स्थापित की जाएं।	2011 – 2018
	रिपोर्टिंग की अवधि के दौरान राज्य-कार्रवाई-योजनाओं को लागू करने के लिए जो गतिविधियां हाथ में ली गईं उनकी सूचना प्रकाशित की जाए।	2018
सामाजिक कार्यक्रम	उन शिक्षा अधिकारियों को सज़ा दी जाए जो भेदभाव और बच्चों के उत्पीड़न में संलग्न हों और शिक्षा के प्रति बाधाओं को, विशेष रूप से वंचित समुदायों के बच्चों के लिए बाधाओं को, कम किया जाए।	2014 – 2018
	सुनिश्चित किया जाए कि आश्रय-गृह दुर्व्यवहारों से, जिसमें जबरन-श्रम और बच्चों की यौन तस्करी शामिल है, मुक्त हों।	2018
	सुनिश्चित किया जाए कि बंधुआ श्रम से मुक्त कराए गए पीड़ितों को, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं, राज्य सरकारें रिहाई प्रमाण-पत्र और वित्तीय सहायता जारी कर रही हैं।	2018
	बंधुआ श्रम के बारे में ज़िला-स्तरीय सर्वेक्षणों के निष्कर्षों और आंकड़ों को सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध कराया जाए।	2009 – 2018